हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
प्रार्थना पत्र स्थगन धारा 75

मिस - प्रा०पत्र - 78-109/17

27.06.2019

पत्रावली पैश हुई । उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर मूल अपील में बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस उभयपक्ष सुनी गई। चुंकि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल अपील संख्या 05/2017 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट को आज सुनवाई के दौरान, न्यायालय के समक्ष गलत एवं झूंठे तथ्यों पर प्रस्तुत हुआ माना जाकर, खारिज कर निर्णित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित/शेष नही रह जाती है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीया बाबत स्थगन में आगे की कार्यवाही को स्थगित कर, इसी के मूल अपीलपत्र संख्या 05/2017 के साथ नत्थी किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)